प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
एटा/लखीमपुर खीरी/सीतापुर/हरदोई/उन्नाव/बहराईच/
रायबरेली/कानपुर देहात/आजमगढ/फतेहपुर।

संख्याः 16384-52/प0-1/9ख/आर0के0वी0वाई/2012-13,दिनॉक 31.10.12

विषयः राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 के लिए पशुपालन विभाग की गोटरी स्कीम(ए0एच0)अण्डर नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंन्ट(सब स्कीम)भारत सरकार की 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत व्यय विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक योजनान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र संख्या-951/बजट/29(5) / अनु0-11/2012-13,दिनॉक-18-7-2012 द्वारा धनराशि आवंटित की गई तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या-1125/प0-1/9ख/आर0के0वी0वाई/उप योजना/2011-12,दिनॉक-6-8-2011 एंव संशोधन दिशा-निर्देश दिनॉक-22-8-2012 का संदर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में उक्त आवंटित धनराशि तुरन्त व्यय करने के निर्देश प्राप्त हुए है,जबकि दिशा निर्देश में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि प्रत्येक माह की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायें,परन्तु आप के स्तर से धनराशि का व्यय एंव भौतिक प्रगति की सूचना अभी तक प्राप्त नही हुई है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त आवंटित धनराशि शीघ्रतिशीघ्र व्यय कर वित्तीय एंव भौतिक प्रगति की सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा इसके लिए आप पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

भवदीय,

(पी0एस0गौतम)
अपर निदेशक(गोधन विकास)

संख्याः /प0-1/9ख/आर0के0वी0वाई/2012-13,दिनॉक

प्रतिलिपिःउप निदेशक,पशुपालन विभाग,लखनऊ/कानपुर/आजमगढ/देवीपाटन/ आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ जनपदों की सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को निर्देशित करें।

(पी0एस0गौतम)
अपर निदेशक(गोधन विकास)